महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

वर्धा (महाराष्ट्र)

विद्या-परिषद् की दूसरी बैठक

कार्यवृत्त

17 एवं 18 अगस्त, 2004

सभा कक्ष, ग्रामोपयोगी विज्ञान केन्द्र, दत्तपुर (वर्धा)

88 90

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

विद्या-परिषद् की वर्धा में आयोजित दूसरी (द्विदिवसीय) बैठक

दिनांक : 17—18 अगस्त, 2004

कार्यवृत्त

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् की दूसरी (द्विदिवसीय) बैठक दिनांक दिनांक 17 एवं 18 अगस्त, 2004 को कुलपति की अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति परिसर, वर्धा स्थित विश्वविद्यालय के सभा-कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए :

1.	प्रो. जी. गोपीनाथन	:	अध्यक्ष एवं कुलपति
2.	डा. (श्रीमती) माजिदा असद	:	सदस्य
3.	डा. एस. तंकमणि अम्मा	:	सदस्य
4.	श्रीमती मृदुला गर्ग	:	सदस्य
5.	श्री बालकृष्ण पिल्लई	:	सदस्य
6.	श्री गोविंद मिश्र	:	सदस्य
7.	प्रो. इंद्रनाथ चौधरी	:	सदस्य
8.	प्रो. राम गोपाल बजाज	:	सदस्य
9.	श्री मधु मंगेश कर्णिक	:	सदस्य
10.	डा. टी. आर. भट्ट	:	सदस्य
11.	डा. रामदयाल मुण्डा	:	सदस्य
12.	डा. राम कृपाल तिवारी	:	पदेन सचिव एवं कुलसचिव, म.ग.अ.हि.वि.

कुछ सदस्यों, प्रो. दया कृष्ण, डा. अशोक आर. केलकर और डा. यू. आर. अनन्तमूर्ति से उनका स्वास्थय ठीक न होने एवं अन्य निजी कारणों से विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् से त्यागपत्र प्राप्त हुआ है। अन्य सदस्य पूर्व प्रतिश्रुत होने एवं अन्य अपरिहार्य कारणवश उपस्थित न हो सके।

1) विद्या-परिषद् की पहली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :

विद्या-परिषद् की पहली बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को भेज दिया गया था। कृपया इसमें लिए गए निर्णयों की पुष्टि एवं अनुमोदन करें।

कार्यवृत्त इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया :

(i) विद्या परिषद् की पहली बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा तैयार विज़न प्लान पर चर्चा हेतु बतौर 'विशेष आमंत्रित' कार्यपरिषद् के सदस्य, प्रो. के. के. गोस्वामी भी मौजूद थे।

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिनियम की हिन्दी प्रति को राजभाषा आयोग को भेजा जाए और प्राप्त संशोधित प्रति के अनुसरण में अधिनियम से संबंधित पारिभाषिक शब्दों का मानकीकरण किया जाये।

2) <u>शेष पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यचर्याओं की स्वीकृति तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को 2005 से शुरू करने का प्रस्ताव</u> :

विश्वविद्यालय द्वारा विद्या-परिषद् की पहली बैठक में प्रस्तुत किए गए निम्न विभिन्न पाठ्यक्रमों का अवलोकन कर कृपया स्वीकृति प्रदान करें :-

1. एम.फिल. (हिन्दी तुलनात्मक साहित्य)
2. एम.फिल. (अहिंसा एवं शांति अध्ययन)
3. एम.फिल. (अनुवाद प्रौद्योगिकी)
4. स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एक वर्षीय) : सांस्कृतिक पर्यटन प्रबंधन।
5. स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एक वर्षीय) : व्यापार संस्कृति प्रबंधन।
6. स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एक वर्षीय): अनुवाद और प्रयोजनमूलक हिन्दी भाषा (अंशकालिक)
7. स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एक वर्षीय) : विश्व भाषा हिन्दी (केवल विदेशी विद्यार्थियों के लिए)।
8. स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एक वर्षीय) : मीडिया इंफार्मेटिक्स।
9. स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एक वर्षीय) : दलित अध्ययन।
10. सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (छमाही)—भाषा दक्षता : मलयालम, तेलुगु, तमिल, मराठी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, स्पेनिश।

विद्या परिषद् ने एम. फिल्. उपर्युक्त तीनों विषयों में तुरन्त आरम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की तथा विश्वभाषा हिन्दी में स्नातकोत्तर (एक वर्षीय) डिप्लोमा और बिन्दू 10 में उल्लिखित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को वर्ष 2005 से आरम्भ किए जाने को सहमति प्रदान की। यह भी निर्णय लिया गया कि अध्यापकों की भर्ती करने और छात्रावास, परिसर और अतिथि-गृह को बनाने संबंधी कार्रवाई तुरंत की जाये। *स्वीकृत पाठ्यक्रमों की प्रति (परिशिष्ट—क) संलग्न है।*

3) <u>गठित उपसमिति की अनुशंसा</u> :

विद्या-परिषद् द्वारा पहली बैठक की मद संख्या *{(3) शैक्षणिक पदों का निर्माण तथा विषय विशेषज्ञता निर्धारण, (4) स्वीकृत पदों की चयन समिति के लिए विशेषज्ञों की सूची का निर्माण एवं (5) स्कूल बोर्डो पर कुलपति द्वारा नियुक्त सदस्यों की नियुक्ति को प्रस्तावित अध्यादेशों के प्रावधान के अन्तर्गत स्वीकृति}* के संदर्भ में गठित उपसमिति की दिनांक 25.7.2004 को नयी दिल्ली में सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय एवं अनुशंसाएँ अनुमोदनार्थ बैठक में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

(i) शैक्षणिक पदों के निर्माण तथा विषय विशेषज्ञता निर्धारण हेतु उपसमिति की अनुशंसाओं को अनुमोदित किया गया। *अनुमोदित अनुसंशाएँ (परिशिष्ट-ख) संलग्न है।*

(ii) स्वीकृत पदों की चयन समिति के लिए विशेषज्ञों के संबंध में उपसमिति द्वारा प्रस्तावित सूची में स्त्री-अध्ययन में दो नाम बदले गए : डा. नासिरा शर्मा के स्थान पर

सुश्री मैत्रेयी कृष्णा राज और डा. अरुणा शितोले के स्थान पर सुश्री मैरी जॉन को नामित कर शेष सूची को स्वीकृति प्रदान की गई। *संशोधित सूची (परिशिष्ट-ग) संलग्न है।*

(iii) स्कूल बोर्डो पर कुलपति द्वारा नियुक्त सदस्यों की नियुक्ति को प्रस्तावित अध्यादेशों के प्रावधान के अन्तर्गत स्वीकृति के सन्दर्भ में प्राप्त अनुशंशाओं में कुछ संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया। *संशोधित प्रारूप (परिशिष्ट-घ) संलग्न है।*

4) शेष अकादेमिक परिनियमों का निर्माण तथा स्वीकृति :

विद्या-परिषद् की पहली बैठक की मद संख्या 6 के बिन्दू क्रमांक

(iv) अंक-सूची तथा स्नातकोत्तर उपाधि/पदविका-प्रमाण-पत्र संबंधी परिनियम ***व***

(v) दीक्षांत समारोह

के संबंध में निर्णय लेने के लिए प्रारूप बैठक में प्रस्तुत किये जायेंगे।

विद्यार्थियों को दिये जाने वाले अंकपत्र में कुल अन्तिम औसत श्रेणी अंक (F G P A) में कम्प्यूटर संबंधी प्राप्त श्रेणी/अंक को नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन प्राप्तांक का उल्लेख अंकपत्र पर होगा। कम्प्यूटर, पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग होगा, जिसमें विश्वविद्यालय के नियमानुसार निर्धारित प्राप्त श्रेणी/प्राप्त करना उत्तीर्ण होने के लिए अनिवार्य होगा। कम्प्यूटर के लिए विद्यार्थियों को अलग से प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

अंक-सूची तथा स्नातकोत्तर उपाधि/पदविका-प्रमाण-पत्र के लिए अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए गए परिनियमों के आधार पर संबंधित परिनियम बनाने का निर्णय लिया गया।

विश्वविद्यालय द्वारा 'दीक्षांत समारोह' के संबंध में अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के आधार पर प्रस्तुत परिनियम *(परिशिष्ट-ङ.)* को स्वीकृति प्रदान की गयी। सभी सदस्यों का एकमत था कि प्रथम 'दीक्षांत समारोह' के लिए कुलाध्यक्ष को आमंत्रित किया जाए और दीक्षांत समारोह के अवसर पर खादी और सादगी वाले गाउन का डिजाइन आवश्यक होगा।

5) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेय उपाधि-प्रमाण-पत्र पदविका तथा अंक सूची के प्रारूपों का निर्धारणः

विद्या-परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारूपों को अन्तिम रूप देने के लिए श्री बालकृष्ण पिल्लई को अधिकृत किया गया था। संशोधित प्रारूप उनके द्वारा बैठक में प्रस्तुत किये जायेंगे।

श्री बालकृष्ण पिल्लई जी द्वारा प्रस्तुत प्रारूपों का अवलोकन कर उसमें सदस्यों ने अपनी राय दी और इन्हें अंतिम रूप देकर आगे कार्रवाई के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया। *संशोधित प्रारूप (परिशिष्ट-च) संलग्न है।*

6) विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा आरंभ करने का प्रस्ताव :

विश्वविद्यालय द्वारा दूर शिक्षा माध्यम से पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव है। दूर शिक्षा उच्चतर शिक्षा को और व्यापक बनाने का उच्चतम माध्यम सिद्ध हुई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी इस बात पर ज़ोर देता रहा है कि विश्वविद्यालय अपने अकादेमिक कार्यक्रम दूर शिक्षा

माध्यम से संचालित करे। इससे उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनके लिए विभिन्न कारणों से सीधे कक्षा में आकर पढ़ाई करना संभव नहीं है, विशेषकर, स्त्री वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर समुदाय के लिए। इस कार्यक्रम के तहत पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए नियमतः दूर शिक्षा प्रभाग स्थापित किया जाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों की शुरुआत की जा सकती है।

सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई पर इसको पूरी तैयारी के बाद वर्ष 2006 से ही शुरू किए जाने और इसके संबंध में अगली बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

7) डा. बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर शोध अध्यासन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव:

विश्वविद्यालय द्वारा पिछली बैठक में प्रस्तावित मद संख्या 11(i) में डा. बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर शोध अध्यासन केन्द्र की स्थापना के संदर्भ में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

इस बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्ताव भेजने और विस्तृत रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय हुआ।

8) महात्मा गांधी, फ्युजीइ गुरुजी अन्तरराष्ट्रीय शांति अध्ययन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव :

विश्वविद्यालय द्वारा पिछली बैठक में मद संख्या 11(ii) में प्रस्तावित महात्मा गांधी, फ्युजीइ गुरुजी अन्तरराष्ट्रीय शांति अध्ययन केन्द्र की स्थापना के संदर्भ में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

इसके बारे में प्रारूप तैयार कर विस्तृत रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाने का निर्णय हुआ।

9) भाषा-केन्द्र, लखनऊ से शोधरत, सुश्री कविता विसारिया को पी.एच.-डी. उपाधि देने हेतु मौखिकी कराने के लिए विशेषज्ञों का चयन :

सुश्री कविता विसारिया ने भाषा-केन्द्र, लखनऊ से 'हिन्दी की अव्यय-संरचना' विषय पर अपना शोध-प्रबंध पी-एच.डी की उपाधि के लिए दिसम्बर, 2002 से पूर्व परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया था। इसके लिए नियुक्त तीन परीक्षकों (डा. विजयराघव रेड्डी; हैदराबाद, डा. हेंज वर्नर वेसलर; जर्मनी और प्रो. आर.सी. शर्मा; नयी दिल्ली) की अनुशंसाएँ प्राप्त हो गई हैं। अब मौखिकी कराए जाने के लिए प्रो. वृषभ प्रसाद जैन, भाषा-केन्द्र, लखनऊ द्वारा उक्त तीन विशेषज्ञों में से किसी का नाम स्वीकृत करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कृपया यथोचित निर्णय लें।

उपर्युक्त संदर्भ में सभी सदस्यों ने विचार कर यह निर्णय लिया कि लखनऊ केन्द्र में सुश्री कविता बिसारिया द्वारा कौन-सा फार्म भरा गया, पी-एच्. डी. के लिए शुल्क कितना था, क्या इसके लिए भाषा-केन्द्र द्वारा कोई पंजीकरण संख्या दी गई अथवा नहीं, यदि हाँ तो किस नियम के तहत, शोध प्रबंध पर किसने हस्ताक्षर किया और किस अधिकार से किस नियम के तहत किया और विषय के लिए स्वीकृति किससे प्राप्त की गई आदि संबंधित पूरी जानकारी प्रस्तुत करने का निर्णय हुआ।

10) भाषा-केन्द्र, लखनऊ से प्राप्त अंक विवरणिका और परीक्षाफल के संबंध में विचार :

भाषा-केन्द्र, लखनऊ में चल रहे उच्च स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा पाठ्यक्रम (सत्र–2002-03) के विद्यार्थियों का परीक्षाफल घोषित किया जाना है और अंकतालिकाएँ आदि भी निर्गत की जानी हैं। भाषा-केन्द्र में शैक्षणिक सत्र (2001-02) में जारी की गई अंकतालिका की एक प्रति आवश्यक निर्णय लेने हेतु प्राप्त हुई है।

विश्वविद्यालय डिप्लोमा के अंकपत्र बनाकर परीक्षाफल घोषित करे और अंकपत्र प्रदान करे।

11) विज़न प्लान पर चर्चा एवं निर्देश :

विश्वविद्यालय द्वारा इसके भविष्य की रूप-रेखा एवं विकास की नई दिशाओं के संबंध में पहली बैठक में प्रस्तुत किए गए विज़न के संबंध में सदस्यों से चर्चा एवं प्राप्त सुझावों पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

विद्या-परिषद् का विचार था कि इसे फिलहाल स्थगित रखा जाये व स्वीकृत पाठ्यक्रमों चलाने और विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों को तेज करने तथा उसकी रिपोर्ट के साथ अगली बैठ में उक्त विषय को विचारार्थ पुनः प्रस्तुत किया जाये।

12) वर्ल्ड हिन्दी म्यूज़ियम :

वर्ल्ड हिन्दी म्यूज़ियम विश्वविद्यालय की एक प्रमुख अवधारणा है। इसमें विश्व हिन्दी साहित्य पर अनुसंधान के लिए केन्द्र होगा। विश्व के 90 देशों में रहने वाले लगभग 960 लाख लोगों द्वारा हिन्दी बोली जाती है। इस केन्द्र के अन्तर्गत उनके बोलने, लिखने आदि के तरीके पर अध्ययन, अनुसंधान होगा। इस म्यूज़ियम में डॉटा के लिखित तथा वाचिक नमूने होंगे।

विद्या-परिषद् ने माना कि यह प्रस्ताव स्वागत योग्य है और इसे सैद्धान्तिक तौर स्वीकृति प्रदान करते हुए जापान फाउंडेशन से मदद लिए जाने के लिए भी कहा गया। सदस्यों मत था कि विश्वविद्यालय आंतरिक संसाधनों के साथ-साथ इसे पूरा करने के लिए बाह्य संसाधनों को भी जुटाए तथा इसकी रूप-रेखा अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।

13) भारतवंशी अध्ययन केन्द्र :

विश्वविद्यालय की अवधारणा के अनुसरण में एक भारतवंशी अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की है, इसमें दुनिया के करीब 90 देशों में रहनेवाले हिन्दी मूल के भारतवंशियों के जीवन भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का अध्ययन होगा। अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के आधार पर इसको विकसित किया जायेगा।

कार्य-योजना को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह निर्णय लिया विश्वविद्यालय आंतरिक संसाधनों के साथ-साथ बाह्य संसाधनों का भी प्रबंध करे तथा इस संबंध में प्रगति की रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।

[illegible]) पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु अध्यादेश :

विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु अध्यादेशों के संदर्भ में सभी सदस्यों को कुलपति बैठक में अवगत करायेंगे।

स्वीकृति प्रदान की गई। पी-एच. डी. अध्यादेश *(परिशिष्ट—छ)* संलग्न है।

बैठक की समाप्ति कुलपति को सदस्यों द्वारा धन्यवाद देने और कुलपति द्वारा उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने से हुई।

प्रो. जी. गोपीनाथन
अध्यक्ष-विद्यापरिषद् एवं कुलपति
महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा